

उत्तर प्रदेश शासन  
राजस्व अनुभाग-1  
संख्या-72/1007 /एक-1-2016-5(55)/2013  
लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2016

### अधिसूचना

#### (संशोधन)

जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के पत्र संख्या-427/भूमि व्य0/पुनर्गठन-एनटीपीसी टाण्डा/2016, दिनांक 21.07.2016 द्वारा राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-595/एक-1-2015-5(55)/2013, दिनांक 15.04.2015 द्वारा ग्राम हुसैनपुर सुधाना के गाटा संख्या-66 के स्थान पर गाटा संख्या-68 किये जाने हेतु संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3. प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-595/एक-1-2015-5(55)/2013, दिनांक 15.04.2015 के क्रमांक-135 में उल्लिखित ग्राम हुसैनपुर सुधाना परगना व तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर के गाटा संख्या-66 के स्थान पर गाटा संख्या-68 प्रतिस्थापित कर संशोधन किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

अतः उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 15.04.2015, उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाये। शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(सुरेश चन्द्रा)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1007(1)/एक-1-2016-5(55)/2013 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ।
4. जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- 5- महाप्रबन्धक, नेशनल पावर कारपोरेशन लि0, टाण्डा, अम्बेडकरनगर।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश सगर)  
विशेष सचिव।